

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/856275 दिनांक: 16-11-17
विषय- राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु गतिविधिवार धनराशि व्यय किये जाने हेतु दिशा निर्देश में टंकण त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र सं०-एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/5146-75 दिनांक 23/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मदवार धनराशि आवंटित करते हुये कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश प्रदत्त किये गये थे किन्तु बिन्दु सं०- 9 में टंकण त्रुटिवंश मद सं० B.16.2.11.4A के स्थान पर मद सं०- I.1.1 अंकित हो गया था इसी प्रकार मद सं० I.1.1 के स्थान पर मद सं०- B.16.2.11.4A अंकित हो गया था।

अतः राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित पत्र सं०- दिनांक 23/08/2017 के बिन्दु सं०-9 पर कार्यक्रम संचालन दिशा-निर्देश में निम्नवत् परिवर्तन है।

- मद सं०-B.16.2.11.4A के स्थान पर मद सं०- I.1.1 माना जायेगा।
- मद सं०- I.1.1 के स्थान पर मद सं०-B.16.2.11.4A माना जायेगा।

: उक्त के अतिरिक्त वर्णित पत्र सं० दिनांक 23/08/2017 के द्वारा जारी जनपदवार/मदवार आवंटन एवं दिशा-निर्देश यथोक्त रहेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा० बी०एस० अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/544675

दिनांक: 23-8-17

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० 2017-18 के एफ०एम०आर० कोड सं०-I एवं B पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 5939.27 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० के प्रस्तावानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु० 363404410.00 की धनराशि 10/08/2017 को Payment Advice No- C071712330094 एवं Payment Advice No- C071712330899 से जिलों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है-

S. N.	District Name	1.1.1. Cat. Ope By NGO @1000/oprt	1.1.2 Diabetic Retinopathy	1.1.2 Childhood Blindness	1.1.2 Glaucoma	1.1.2 Keratoplasty	1.1.2 Vitreo retinal Surgery	1.1.3 Free Spect.	1.1.4 Free Spect Old Peoples	1.1.5 Eye Donation to Eye Banks	1.8 Maintenance of Big Ophthalmic Equipments AMC	1.2.3 Vision Centres	1.3.4 DEO Existing HR and lumpsum	1.4.1 Other District Activities	B.16.2.1 1.4A Ope.By Govt. Sector @450/opr	B.30.3.4 Surg. Cont. Existing HR	B.30.1 1.13 OptCo nt. Existing HR	B.30.1 1.1 Greel Councilor Existing HR	Total Allotment for Districts
1	Agra	1728049	500000	500000	300000	666666	666666	1207250	213475	800000	200000	100000	50400	250000	3663594	396000	75600	94500	51156200
2	Aligarh	3860750	500000	500000	300000	666666	666666	1012275	184075	200000	200000	100000	50400	250000	1797338	360000	72000	94500	20754671
3	Allahabad	2664875	500000	500000	300000	666666	666666	1642300	298612	300000	200000	100000	50400	250000	4796775	396000	75600	94500	33502364
4	Ambedkar Nagar	616550	0	0	0	0	0	660825	120186	0	200000	100000	50400	250000	1367238	360000	75600	0	3320799
5	Amethi	385550	0	0	0	0	0	413325	75156	0	200000	100000	50400	250000	173494	0	0	0	1647929
6	Amroha	395500	0	0	0	0	0	424050	92000	0	200000	100000	50400	250000	444936	0	0	0	1956884
7	Auraiya	881875	0	0	0	0	0	378125	68757	0	200000	100000	4580	250000	154678	0	0	0	2642075
8	Azamgarh	836600	0	0	0	0	0	1272150	231307	0	200000	100000	50400	250000	941176	0	0	0	2881432
9	Bagpat	334750	0	0	0	0	0	358875	65244	0	200000	100000	50400	250000	376536	0	0	0	1730751
10	Bahraich	894050	0	0	0	0	0	958375	174276	0	200000	100000	50400	250000	2011613	360000	75600	0	5074314
11	Ballia	828800	0	0	0	0	0	882350	161516	0	200000	100000	50400	250000	932175	0	0	0	3410941
12	Baliampur	502400	0	0	0	0	0	592075	107677	0	200000	100000	50400	250000	1742900	0	0	0	3095452
13	Banda	462550	0	0	0	0	0	495825	90155	0	200000	100000	50400	250000	208148	0	0	0	1457088
14	Barabanki	1046873	0	0	0	0	0	897600	169239	0	200000	100000	50400	250000	1884263	360000	75600	0	5027915
15	Barilly	5738750	500000	500000	300000	666666	666666	1230350	223733	200000	200000	100000	50400	250000	1291219	360000	75600	0	12753388
16	Basti	3163000	500000	500000	300000	666667	666667	678150	123310	0	200000	100000	50400	250000	1423350	0	0	0	8621544
17	Bijnor	1367250	500000	500000	300000	666667	666667	1015575	184580	0	200000	100000	50400	250000	2130525	0	0	0	8931664
18	Budaun	954300	0	0	0	0	0	1023000	186024	0	200000	100000	50400	250000	2147175	0	0	0	4910809
19	Bulandshahr	899150	0	0	0	0	0	963675	175290	0	200000	100000	50400	250000	1011056	0	0	0	3050471
20	Chandauli	424800	0	0	0	0	0	355400	96000	0	200000	100000	50400	250000	477900	0	0	0	2056000
21	Chitrakoot	254630	0	0	0	0	0	275075	49635	0	200000	100000	50400	250000	114593	0	0	0	1292353
22	Deoria	895563	0	0	0	0	0	853875	155255	0	200000	100000	50400	250000	1792013	0	0	0	4397106
23	Etah	452700	0	0	0	0	0	485375	88241	0	200000	100000	50400	250000	1018578	0	0	0	2645261

S. N.	District Name	1.1.1. Cat. Ope. By NGO @1000 /oprt	1.1.2 Diabetic Retinopathy	1.1.2 Childhood Blindness	1.1.2 Glaucoma	1.1.2 Keratoplasty	1.1.2 Vitreo-retinal Surgery	1.1.3 Free Spect.	1.1.4 Free Spect Old Peoples	1.1.5 Eye Donation to Eye Banks	1.8 Maintenance of 8lg Ophthalmic Equipments AMC	1.2.3 Vision Centres	1.3.4 DEO Existing HR and Lumpsum	1.4.1 Other District Activities	B.16.2.1 1.4A Ope. By Govt. Sector @450/opr	B.30.3 4 Surg. Cont Existing HR	B.30.1 1.13 OptCo nt, Existing HR	B.30.1 1.1 Greef Councilor Existing HR	Total Allotment for Districts
24	Etawah	405900	0	0	0	0	0	435080	79123	0	200000	100000	50400	250000	913175	396000	75600	0	260544
25	Faizabad	2172250	0	0	0	0	0	680075	123676	0	200000	100000	50400	250000	285503	360000	72000	0	5293904
26	Farrukhabad	2426000	0	0	0	0	0	520025	96576	0	200000	100000	4580	250000	218940	360000	75600	0	4249121
27	Fatehpur	1691750	0	0	0	0	0	725450	131909	0	200000	100000	50400	250000	304515	0	0	0	3454024
28	Firozabad	641750	0	0	0	0	0	688050	125087	0	200000	100000	50400	250000	1443938	396000	75600	0	3970825
29	Gautam Buddha Ngr	580450	0	0	0	0	0	461450	89910	300000	200000	100000	4580	250000	1806013	0	0	0	3286408
30	Ghaziabad	5948500	500000	500000	300000	666667	666667	953700	133350	0	200000	100000	4580	250000	1338412	0	0	0	11561877
31	Ghazipur	931200	0	0	0	0	0	998250	181498	0	200000	100000	4580	250000	523820	0	0	0	3189328
32	Gonda	2205000	0	0	0	0	0	945450	171908	0	200000	100000	50400	250000	992250	396000	75600	0	5336628
33	Gorakhpur	1440900	500000	500000	300000	666667	666667	1223375	222275	100000	200000	100000	50400	250000	1620338	396000	75600	94500	8405123
34	Hamirpur	283800	0	0	0	0	0	304250	59316	0	200000	100000	50400	250000	127710	0	0	0	1371378
35	Hapur	308450	0	0	0	0	0	330550	100209	0	200000	100000	4580	250000	347006	0	0	0	1640785
36	Hardoi	1051650	0	0	0	0	0	1127500	204996	0	200000	100000	50400	250000	1183106	360000	72000	0	4590652
37	Hathras	402450	0	0	0	0	0	431475	78447	0	200000	100000	4580	250000	181103	0	0	0	1648055
38	Jalaun	429450	0	0	0	0	0	460950	83710	0	200000	100000	50400	250000	966283	360000	75600	0	2975775
39	Jaunpur	1150600	0	0	0	0	0	1239375	214318	0	200000	100000	4600	250000	2588625	0	0	0	5751418
40	Jhansi	1014250	500000	500000	300000	666667	666667	551375	100246	0	200000	100000	50400	250000	2282063	360000	75600	94500	7711758
41	Kannauj	426150	0	0	0	0	0	456775	83073	0	200000	100000	50400	250000	958838	360000	75600	0	2960836
42	Kanpur Dehat	2307000	0	0	0	0	0	834725	39942	0	200000	100000	50400	250000	207630	0	0	0	3699697
43	Kanpur Nagar	9627000	500000	500000	300000	666667	666667	1260050	229125	200000	200000	100000	50400	250000	2166075	396000	75600	94500	17262084
44	Kanganj	1848250	0	0	0	0	0	396275	72058	0	200000	100000	50400	250000	166343	0	0	0	3083525
45	Kaushambi	2052250	0	0	0	0	0	440000	80012	0	200000	100000	50400	250000	923513	0	0	0	4096175
46	Kushinagar	915250	0	0	0	0	0	981200	178413	0	200000	100000	50400	250000	1029656	0	0	0	3704919
47	Lakhimpur Kheri	5154250	0	0	0	0	0	1108050	201100	0	200000	100000	4580	250000	464543	360000	72000	0	7916223
48	Lalitpur	782625	0	0	0	0	0	335500	81027	0	200000	100000	4580	250000	704361	360000	72000	0	2870095
49	Lucknow	1879400	500000	500000	300000	666667	666667	1264450	229401	400000	200000	100000	4580	250000	4028650	360000	72000	94500	11716815
50	Maharajganj	685100	0	0	0	0	0	734525	133543	0	200000	100000	4580	250000	770738	0	0	0	2878486
51	Mahoba	275200	0	0	0	0	0	241450	43894	0	200000	100000	50400	250000	101340	0	0	0	1212284
52	Mainpuri	474800	0	0	0	0	0	508025	92352	0	200000	100000	50400	250000	534150	0	0	0	2210927
53	Mathura	7266750	0	0	0	0	0	703425	127360	0	200000	100000	50400	250000	294008	0	0	0	4888943
54	Mau	568800	0	0	0	0	0	607750	110490	0	200000	100000	4580	250000	637850	0	0	0	2477270
55	Meerut	1886100	500000	500000	300000	666667	666667	848850	172730	200000	200000	100000	50400	250000	2121843	396000	75600	94500	9130377
56	Mirzapur	1603000	0	0	0	0	0	687500	124967	0	200000	100000	4580	250000	288540	360000	72000	0	3690607
57	Moradabad	1218450	500000	500000	300000	666667	666667	990000	138946	200000	200000	100000	50400	250000	1370756	396000	75600	0	7725486
58	Muzaffarnagar	1888375	0	0	0	0	0	809600	107153	0	200000	100000	50400	250000	1699528	0	0	0	5105068
59	Pilibhit	513650	0	0	0	0	0	561275	102074	0	200000	100000	4580	250000	1178213	0	0	0	2919792
60	Pratapgarh	2039375	0	0	0	0	0	874500	159019	0	200000	100000	50400	250000	367088	0	0	0	4040382
61	Raebareilly	874950	0	0	0	0	0	938025	170556	0	200000	100000	50400	250000	393728	396000	75600	0	3443259
62	Rampur	846750	0	0	0	0	0	728550	117047	0	200000	100000	50400	250000	762075	0	0	0	3052822
63	Saharanpur	4452250	0	0	0	0	0	954525	173573	0	200000	100000	50400	250000	2005513	0	0	0	8184261
64	Sambhal	771125	0	0	0	0	0	380590	100209	0	200000	100000	4580	250000	118805	0	0	0	1895267
65	Sant Kabir Nagar	550813	0	0	0	0	0	472450	85394	0	200000	100000	50400	250000	198293	0	0	0	1907850
66	St. Ravidas Nagar	996750	0	0	0	0	0	428175	77874	0	200000	100000	50400	250000	448438	0	0	0	2554837
67	Shahjahanpur	1929250	0	0	0	0	0	627200	150432	0	200000	100000	50400	250000	454081	0	0	0	3941363
68	Shamli	308450	0	0	0	0	0	330550	100209	0	200000	100000	50400	250000	347006	0	0	0	1640785

N.	District Name	1.1.1. Cat. Ope. By NGO @1000 /opt	1.1.2. Diabetic Retinopathy	1.1.2. Childhood Blindness	1.1.2. Glaucoma	1.1.2. Keratoplasty	1.1.2. Vitreo-retinal Surgery	1.1.3. Free Spect.	1.1.4. Free Spect. Old Peoples	1.1.5. Eye Donation to Eye Banks	1.8. Maintenance of Big Ophthalmic Equipments 'AMC'	1.2.3. Vision Centres	1.3.4. DEO Existing HR and Lumpsum	1.4.1. Other District Activities	8.16.2.1. 1.4A Ope. By Govt. Sector @450/0 opt	8.30.3. Surg. Cont. Existing HR	8.30.1. 1.13 OptCo nt. Existing HR	8.30.1. 1.1. Green Councilor Existing HR	Total Allotment for Districts
69	Shravasti	296900	0	0	0	0	0	807175	55847	0	200000	100000	4580	250000	644625	0	0	0	1308727
70	Siddharth Nagar	1640875	0	0	0	0	0	703725	127943	0	200000	100000	4580	250000	295358	0	0	0	3322481
71	Sitapur	4500750	500000	500000	300000	666667	666667	1252825	224189	0	200000	100000	4580	250000	1012669	360000	72000	0	10590347
72	Sonbhadra	478750	0	0	0	0	0	513150	93325	0	200000	100000	4580	250000	538594	0	0	0	2178399
73	Sultanpur	548850	0	0	0	0	0	631125	114785	0	200000	100000	4580	250000	264983	360000	72000	0	2586323
74	Unnao	3997750	0	0	0	0	0	857175	155854	0	200000	100000	50400	250000	1796988	0	0	0	3410167
75	Varanasi	1323600	500000	500000	300000	666666	666666	1097250	184533	500000	200000	100000	50400	250000	2978100	396000	75700	94900	9883415
Total		11774880	7500000	7500000	4500000	10000000	10000000	55000000	10000000	3900000	15000000	7500000	2817600	13750000	80681647	10176000	2384500	652500	96340410

3. वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेण्ड अवशेष धनराशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त जनपदवार तालिका में अंकित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी है एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 275.00 प्रति चश्मा की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उन आयुवर्ग के बच्चों के लिये अवमुक्त की जा रही है जो बच्चों राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हो रहें हैं। अतः जिला अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग उक्त आयुवर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत टीमों के माध्यम से चश्मा वितरण में करेंगे।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार ही सुनिश्चित की जाये।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

✓ FMR Code -B.16.2.11.4A मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0 क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेशन की दर से।

✓ FMR Code -1.1.1 मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 450/ आपरेशन की दर से।

FMR Code -1.1.2 मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, विभिन्न रोगों हेतु निर्धारित दर से।

FMR Code -1.1.3 स्कूलों में छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/केस की दर से।

FMR Code -I.1.4 राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चष्मा वितरण रु० 100/चश्मे की दर से।

FMR Code -I.1.5 नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रु० 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

FMR Code -I.1.8 उपलब्ध नेत्रशल्यक्रिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव के हेतु AMC प्रति जनपद रु० 200000/ से किया जाना है।

FMR Code -I.2.3 प्रदेश में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना हेतु रु० 100000/ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -I.4.1 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र के कार्यालय में रु० 250000/ की धनराशि से 01 कम्प्यूटर, 01 यू०पी०एस०, 01 फोटोकॉपीयर कम स्कैनर, मासिक कन्टेनजेन्सी तथा मासिक अन्य कार्यालय क्रय एवं व्यय आदि एन०एच०एम० के वित्तीय नियमावली के आधार पर जनपदों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

FMR Code -B.30.3.4 में सम्बन्धित 17 जनपदों में 01 नेत्र शल्यक प्रति माह रु० 60000.00 की दर से वेतन एवं 11 जनपदों में प्रति माह रु० 66000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -B.30.11.13 में सम्बन्धित 19 जनपदों में 01 नेत्र सहायक प्रति माह रु० 12600.00 की दर से वेतन एवं 09 जनपदों में प्रति माह रु० 12000.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -B.30.11.1 में सम्बन्धित 09 जनपदों में 01 नेत्र काउन्सलर प्रति माह रु० 15750.00 की दर से वेतन 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

FMR Code -I.3.4 में सम्बन्धित 54 जनपदों में 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रति माह रु० 8400.00 की दर से 06 माह हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं सम्बन्धित 21 जनपदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 4580.00 की धनराशि 12 माह हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

10. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा- निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में रिकरिंग मद में आवंटित धनराशि को अन्य रिकरिंग मद में जनपद द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन प्राप्त कर जनपद में उपरोक्त संसाधनानुसार अनुपात के परिवर्तन कर धनराशि वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय की जा सकती है।

11. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटचूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

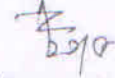
14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

16. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं० 1207-13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

17. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,



(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/

दिनांक: 16-11-17

विषय- राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु गतिविधिवार धनराशि व्यय किये जाने हेतु दिशा निर्देश में टंकण त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र सं०-एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/5146-75 दिनांक 23/08/2017 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मदवार धनराशि आवंटित करते हुये कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश प्रदत्त किये गये थे किन्तु बिन्दु सं०- 9 में टंकण त्रुटिवंश मद सं० B.16.2.11.4A के स्थान पर मद सं०- I.1.1 अंकित हो गया था इसी प्रकार मद सं० I.1.1 के स्थान पर मद सं०- B.16.2.11.4A अंकित हो गया था।

अतः राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश के सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित पत्र सं०- दिनांक 23/08/2017 के बिन्दु सं०-9 पर कार्यक्रम संचालन दिशा-निर्देश में निम्नवत् परिवर्तन है।

- मद सं०-B.16.2.11.4A के स्थान पर मद सं०- I.1.1 माना जायेगा।
- मद सं०- I.1.1 के स्थान पर मद सं०- B.16.2.11.4A माना जायेगा।

: उक्त के अतिरिक्त वर्णित पत्र सं० दिनांक 23/08/2017 के द्वारा जारी जनपदवार/मदवार आवंटन एवं दिशा-निर्देश यथोक्त रहेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा० बी०एस० अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/NPCB/01/2017-18/8562-758 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०